न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2020/00064

1. प्रभूलाल आत्मज धन्ना जाति मेघवाल निवासी ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान(मृतक) जर्ये कायम मुकामान–
   1/1. जगदीश पुत्र प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
   1/2. गोपाल पुत्र प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
   1/3. मोहनलाल पुत्र प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
   1/4. बाली बाई पुत्री प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
   1/5. कलावती बाई पुत्री प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
   1/6. अनिता बाई पुत्री प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
   1/7. ग्यारसी बाई बेवा प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

—अपीलान्टगण

बनाम

1. अमरलाल आत्मज रूपलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम कुम्भकोट(मृतक) जर्ये कायम मुकामान–
   1/1. रविन्द्र पुत्र अमरलाल
   1/2. अशोक पुत्र अमरलाल
   1/3. कान्ती बाई पत्नी अमरलाल
   1/4 गुड्डी पुत्री अमरलाल
   1/5. गायत्री पुत्री अमरलाल
   1/6. पुष्पा पुत्री अमरलाल
2. भैरूलाल आत्मज रूपलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. रोडी बाई बेवा किशन जाति मेघवाल निवासी ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
4. भगवती बाई पुत्री किशन जाति मेघवाल निवासी ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

5. पार्वती बाई पुत्री किशन जाति मेघवाल निवासी ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
6. कंचन बाई पुत्री धन्ना जाति मेघवाल निवासी ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
7. देवीलाल पुत्र गंगाराम जाति मेहर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
8. एसोजियटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज, कोटा लि. प्रधान कार्यालय कुदायला औद्योगिक क्षेत्र, रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान जर्ये सचिव/अधिकृत अधिकारी।
9. स्टेटस इम्पेक्स, प्रा.लि. रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान जर्ये डायरेक्टर श्री अनिल वेद/अधिकृत अधिकारी।

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश नागर, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 3 से 6 की ओर से।
4. श्री पैरोकार सरकार—रेस्पो. संख्या 8 की ओर से।
5. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 7, 9, 10 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 20.10.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 2/2019 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमंडी मे ख0नं0 245 की रकबा 0.4500 हैक्टेयर, ख0नं0 373 की रकबा 0.1900 हैक्टेयर, ख0नं0 519 की रकबा 0. 5500 हेक्टेयर योग 3 किता कुल क्षेत्रफल 1.1900 हेक्टर स्थित है। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी ग्राम कुम्भकोट संवत 2074 से 2077 साथ संलग्न है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी के आराजी के सेटलमेंट से पूर्व के साबिक ख0नं0 38 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 151 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख०नं० 263 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा थे। फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम कुम्भकोट साथ सलग्न है। प्रार्थना—पत्र के साथ सजरा परिवार प्रस्तुत किया। खतौनी बन्दोबस्त ग्राम कुम्भकोट संवत 2014 से 2033 में उक्त वादग्रस्त आराजी— साबिक ख0नं0 38 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा ख0नं0 151 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख0नं0 263 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा त्रुटिवश रुपा वल्द दूधा एवं मु० बरजी बेवा मोती के समान हिस्से से दर्ज हो गई तथा उक्त आराजी में धन्ना वल्द दूधा का नाम खातेदारी में

दर्ज होने से रह गया है। तब से उक्त त्रुटि लगातार चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 तथा नकल जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 में भी इसी प्रकार गलत इन्द्राज हो रहा है। ग्राम कुम्भकोट में साबिक खसरा नं० 22 की रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा आराजी भी स्थित रही है जिसका वर्तमान खसरा नं० 229 है। उक्त आराजी सहित नया खसरा नं० 245 की रकबा 0.70 में से 0.25 पश्चिम तरफ को अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं० 1 एवं 2 ने प्रार्थी/वादी की सहमति के बिना ही अप्रार्थी/प्रतिवादी नं0 7 देवीलाल पुत्र गंगाराम जाति मेहर निवासी खैराबाद को बैचान कर दी है। इस कारण उक्त बैचान प्रारम्भ से ही शून्य है। इसकी फोटो प्रति नकल जमाबन्दी ग्राम कुम्भकोट सम्वत् 2009 से 2029 संलग्न है। पक्षकारान के बुजुर्गों की ग्राम लक्ष्मीपुरा एवं ग्राम जुल्मी में भी शामलाती आराजी स्थित रही है जिसमें मृतक धन्ना के वारिसान प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं० 3 लगायत 6 का नाम अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण– नं० 1 व 2 के साथ खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी ग्राम लक्ष्मीपुरा सम्वत् 2072 से 2075 एवं फोटो प्रति नकल जमाबन्दी ग्राम जुल्मी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न है। राजस्व रेकार्ड में हुई उक्त त्रुटि को दुरुस्त कर वादग्रस्त आराजी मुन्दर्जा मद नं० 2 प्रार्थना–पत्र तथा मद न0 6 प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी/वादी का नाम अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं० 3 लगायत 6 के साथ शामलाती रूप से हिस्सा 1/2 में दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण नं० 1 व 2 का शामलाती रूप से हिस्सा 1/2 ही निहित है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं० 1 एवं 2 ने उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी/वादी (जिसका वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा निहित है) की सहमति के बिना ही अवैध रूप से खनन कार्य हेतु प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण नं0 9 एवं 10 के पक्ष में सहमति दे दी है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण नं० 9 एवं 10 को प्रार्थी/वादी के 1/6 हिस्से की आराजी पर एवं प्रार्थी/वादी सहित अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं0 3 लगायत 6 के शामलाती कुल 1/2 हिस्से की आराजी पर जबरन खनन कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं0 9 एवं 10 ने दिनांक 06–06–2018 को प्रार्थी/वादी के हिस्से सहित सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में जबरन खनन कार्य प्रारम्भ करने की धमकी दी है। मोके पर प्रार्थी/वादी, प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण नं0 3 लगायत 6 के साथ शामलाती रूप से कुल 1/2 हिस्से की आराजी पर शांतीपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। लेकिन प्रार्थी/वादी के अनपढ कृषक होने से राजस्व रेकॉर्ड की इस त्रुटि का प्रार्थी/वादी को ज्ञान नही हो सका। दिनांक 20.01.2018 को प्रार्थी/वादी ने हल्का पटवारी जी से जानकारी ली तो प्रार्थी/वादी को राजस्व रेकॉर्ड में हुई उक्त त्रुटि की प्रथम बार जानकारी हुई। उसी दिन प्रार्थी/वादी ने संम्बन्धित राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तथा प्रथम बार जानकारी की तिथि 20.01.2018 से मूलवाद अन्दर मियाद पेश किया गया है। प्रार्थी/वादी का नाम खाते में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी/वादी को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। इस कारण प्रार्थी/वादी ने माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है कि– वाद–पत्र की मद नं० 1 एवं मद नं0 5 में वर्णित वादग्रस्त आराजी का इन्द्राज दुरुस्त करवा कर प्रार्थी/वादी को प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण नं0 3 लगायत 6 के साथ शामलाती रूप से हिस्सा 1/2 से खातेदार कृषक घोषित करावे एवं उक्त वादग्रस्त आराजी के खाते का एवं मौके पर विधिवत विभाजन कर प्रार्थी/वादी के हिस्से की आराजी (जितनी भी आराजी हिस्से में आती है) को प्रथक से प्रार्थी/वादी के

खाते दर्ज करावे एवं लगान राज भी प्रथक से मुकर्रर करावे एवं प्रार्थी/वादी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण नं0 9 एवं 10 के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करावे कि अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण नं0 9 एवं 10 उक्त वादग्रस्त आराजी के किसी भी हिस्से में खनन कार्य नही करे एवं प्रार्थी/वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत एवं मजाहमत नही करे। उक्त कृत्य अपने दीगर एजेन्टों/कर्मचारियो से भी नही करावे। उक्त मूल वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है इस मध्य प्रार्थी वादी को जानकारी हुई है कि अप्रार्थीगण नं० 1, 2 एवं 7 भी राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए शेष आराजी को भी रहन/बैचान एवं खुर्द बुर्द करना चाहते है यदि उक्त अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अपने इरादो में सफल हो गये तो प्रार्थी/वादी को उसके हिस्से की आराजी से वंचित होना पडेगा एवं प्रार्थी/वादी को दीगर मुकदमें बाजी में उलझना पड़ेगा। प्रार्थी/वादी को काफी आर्थिक एवं मानसिक क्षति होगी तथा प्रार्थी/ वादी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी/वादी का केस प्रथम दृष्टया कैस है तथा सुविधाओ का संतुलन भी प्रार्थी/वादी के पक्ष में है। उक्त परिस्थितियो में प्रार्थी/वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी/ वादी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं० 1, 2, 7, 9 एवं 10 के विरुद्ध ता–फैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करावे कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं० 9 एवं 10 ता–फैसला वाद उक्त वादग्रस्त आराजी के किसी भी हिस्से में खनन कार्य नही करे एवं प्रार्थी/वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत एवं मजाहमत नहीं करे। उक्त कृत्य अपने दीगर एजेन्टो/कर्मचारियों से भी नही कराये। एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं0 1, 2, 7, 9 एवं 10 ता–फैसला वाद उक्त वादग्रस्त आराजी के किसी भी हिस्से को अन्य किसी दीगर व्यक्ति को रहन/ बैचान एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नही करे। इस हेतु यह आवेदन पेश है। अन्त में प्रार्थी/वादी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं0 1, 2, 7, 9 एवं 10 के विरुद्ध ता–फैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं0 9 एवं 10 ता– फैसला वाद उक्त वादग्रस्त आराजी के किसी भी हिस्से में खनन कार्य नही करे एवं प्रार्थी/वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत एवं मजाहमत नही करे। उक्त कृत्य अपने दीगर एजेन्टो/कर्मचारियो से भी नहीं करावे एवं अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण नं० 1, 2, 7, 9 एवं 10 ता–फैसला वाद उक्त वादग्रस्त आराजी के किसी भी हिस्से को अन्य किसी दीगर व्यक्ति को रहन/ बैचान/ एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नही करे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.01.2020 के द्वारा प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2020 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट

स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2020 निरस्त किया जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गाय। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 9, 10 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स नं० 1 लगायत 6 के पिता एवं अपीलांट नं0 7 के पति प्रार्थी /वादी प्रभुलाल की मृत्यु दिनांक 13.01. 2020 को होने से अपीलांट्स – उक्त दिनांक 13.01.2020 को माननीय अधि० न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सके थे तथा उक्त दिनांक 13.01.2020 को ही माननीय अधि० न्यायालय के द्वारा मृतक व्यक्ति–प्रार्थी/वादी के विरुद्ध आदेश जैर अपील पारित कर दिया इस कारण अपीलांट्स को उक्त आदेश जैर अपील की जानकारी नही हो सकी। प्रार्थी/वादी प्रभूलाल के क्रिया कर्म एवं बाहरवे की रस्म आदि पूर्ण करने के बाद एव पिता/पति के सदमें से उबरने के बाद आगामी तारीख पेशी 14.02.2020 को अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता से जानकारी ली तो अपीलांट्स को उक्त आदेश जैर अपील की प्रथम बार जानकारी हुई है। इसके बाद नकल हेतु आवेदन किया एवं नकल मिलने के बाद प्रथम बार जानकारी की तिथी 14.02.2020 से यह अपील अवधि मध्य पेश है। अन्त में आदेश जैर अपील दिनांक 13.01.2020 से प्रथम बार जानकारी के दिनांक 14.02.2020 तक की अवधि के डिले को न्याय हित में कन्डोन फरमाया जाकर इस अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 ने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन किया तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7,9,10 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलांट की ओर से जानबूझकर अपील विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थी अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किये है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किये जाने तथा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 9, 10 की बहस का समर्थन किया तथा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किये जाने व प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम की बहस पर मनन किया। हस्तगत निर्णय दिनांक 13.01.2020 का है तथा अपीलांट की ओर से अपील दिनांक 11.03.2020 को पेश की गई है, जो कि अंदर मियाद पेश की गई है। अतः न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र बाबत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र साथ संलग्न दस्तावेज को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है। प्रस्तुत दस्तावेज न्याय निर्णय हेतु आवश्यक है तथा जिनकी सत्यता पर सन्देह नहीं किया जा सकता है। अज्ञानता व पूर्व में उपलब्ध नहीं होने से अपीलांट उक्त दस्तावेजों को पेश नहीं कर सके। न्यायहित में उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 ने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन किया तथा प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 9 व 10 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तथा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांटगण द्वारा फर्द के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात अपील विषयक, वाद विषयक आराजीयात से सम्बंधित नहीं है। अन्य ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील रामगंजमण्डी से सम्बंधित दस्तावेजात है अतः उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता। उक्त दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत नहीं है तथा हस्तगत अपील के समुचित निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है। अन्त में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 9, 10 की बहस का समर्थन किया तथा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों अवलोकन किया तथा उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ है जिन पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होता है। साथ ही उक्त दस्तावेजों का अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक होना प्रतीत होता है। न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आदेश जैर अपील दिनांक 13.01.2020 योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय विधि एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। योग्य

अधि० न्यायालय ने प्रार्थी/वादी का केस प्रथम दृष्ट्या केस होना नही मानने तथा प्रार्थी/वादी को अपरिमित क्षति होना नही मानने तथा सुविधाओ का संतुलन भी प्रार्थी वादी के पक्ष में होना नहीं मानने में भारी कानूनी त्रुटि की है तथा सरसरी तोर पर आदेश जैर अपील पारित कर दिया हे जो निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधि० न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करते समय इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि यदि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं0 9 एवं 10 को उक्त वादग्रस्त आराजी में खनन कार्य करने से नही रोका गया एवं अप्रार्थीगण नं० 1, 2 एवं 7 के द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिया गया तो वादी का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से आदेश जैर अपील पारित कर अपीलांट को न्याय प्राप्त करने से वंचित करते हुए रेस्पो० को वादगत कृषि भूमि में खनन कार्य करने एवं आराजी बेचान कर खुर्द बुर्द करने का अवसर प्रदान कर दिया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का गुणवगुण के अनुसार निर्णय पारित नही करने में भारी कानूनी त्रुटि की है – जो दुरुस्तनीय है। प्रार्थी/वादी प्रभूलाल की मृत्यु दिनांक 13.01.2020 को हो गई थी – उक्त आदेश जेर अपील मृतक व्यक्ति के विरुद्ध पारित किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स नं० 1 लगायत 6 के पिता एवं अपीलांट नं0 7 के पति प्रार्थी/वादी प्रभूलाल की मृत्यु दिनांक 13.01.2020 को होने से अपीलांट्स उक्त दिनांक 13.01.2020 को माननीय अधि० न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सके थे तथा उक्त दिनांक 13.01.2020 को ही माननीय अधि० न्यायालय के द्वारा मृतक व्यक्ति – प्रार्थी/वादी के विरुद्ध आदेश जर अपील पारित कर दिया इस कारण अपीलांट्स को उक्त आदेश जर अपील की जानकारी नही हो सकी। प्रार्थी/वादी प्रभूलाल के किया कर्म एवं बाहरवे की रस्म आदि पूर्ण करने के बाद एवं पिता/पति के सदमें से उबरने के बाद आगामी तारीख पेशी 14.02.2020 को अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता से जानकारी ली तो अपीलांट्स को उक्त आदेश जर अपील की प्रथम बार जानकारी हुई है। इसके बाद नकल हैतु आवेदन किया एवं नकल मिलने के बाद प्रथम बार जानकारी की तिथी 14.02.2020 से यह अपील अवधि मध्य पेश है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1991 पेज 203 राधेश्याम बनाम लक्ष्मीनारायण और अन्य, आर.आर.डी. 1993 पेज 206 राधेश्याम बनाम लक्ष्मीनारायण प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 13.01.2020 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया एवं अपीलांट के पक्ष में एवं रेस्पो० नं० 1, 2, 7, 9 एवं 10 के विरुद्ध ता–फैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि– रेस्पो० नं० नं० 9 एवं 10 ता– फैसला वाद उक्त वादग्रस्त आराजी के किसी भी हिस्से में खनन कार्य नही करे एवं अपीलांट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत एवं मजाहमत नही करे। उक्त कृत्य अपने दीगर एजेन्टो/कर्मचारियों से भी नही करावे। एवं रेस्पोडेन्ट नं० 1, 2, 7, 9 एवं 10 ता–फैसला वाद उक्त वादग्रस्त आराजी के किसी भी हिस्से को अन्य किसी दीगर व्यक्ति को रहन/बैचान/ एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नही करे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 ने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांग 13.01.2020 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 9, 10 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उन्होने हस्तगत विवादित भूमि पंजीबद्ध विकय–पत्र से कय की हैं यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं 5 अस्वीकार है। संवत 2020 से 2023 और संवत 2032 से 2035 के राजस्व अभिलेख में दर्ज इन्द्राज राज्य सरकार द्वारा बनाया गया राजस्व अभिलेख है जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही रही है राजस्व अभिलेख के अनुसार संवत 2032 से 2035 के राजस्व अभिलेख जमाबंदी ग्राम कुम्भकोट के खाता संख्या 80 मे अप्रार्थी कम 1 व 2 के खाते मे खसरा नं. 151 की रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा खसरा नं. 250 की रकवा 17 बिस्वा एवं खसरा नं. 263 की रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 3 की रकवा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज है जिसके राजस्व अभिलेख की नकल स्वयं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। मालग्राम कुम्भकोट के साबिक खसरा नं. 22 की रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा आराजी जिसका वर्तमान खसरा नं. 229 है, एवं साबिक खसरा नं. 38 की रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा जिसका नया खसरा नं. 245 की रकबा 0.70 है० भूमि मे से 0.25 है0 भूमि बतरफ पश्चिम को अप्रार्थी कम 7 द्वारा जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.09.2012 को भूमि के रिकॉर्डेड खातेदारान् अप्रार्थी कम 1 व 2 से विधिवत रूप से कय कर कब्जा प्राप्त किया था तब से अप्रार्थी कम 7 उक्त भूमि पर खातेदार कृषक की हैसियत से काबिज चला आ रहा है चूंकि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि प्रारम्भ से ही अप्रार्थी कम 1 व 2 एवं उनके स्व० पिता रूपा उर्फ रूपलाल के स्वामित्व की भूमि होकर उनके खाते दर्ज रही है जिसमे किसी दीगर सहखातेदारान् का कोई हिस्सा दर्ज नही रहा है इसीलिये उक्त भूमि विरासतन तौर पर अप्रार्थी कम 1 व 2 के खाते दर्ज की गई है। अप्रार्थी कम 1 व 2 ने भूमि के खातेदार होने की वजह से उक्त भूमि को विधिवत रूप से अप्रार्थी कम 7 को विक्रय किया है। उक्त भूमि को विक्रय या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने के लिये अप्रार्थी कम 1 व 2 को किसी अन्य व्यक्ति से सहमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नही थी। यदि किसी अन्य गांव मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 6 के सम्मिलित खाते की कोई भूमि स्थित रही हो तो उक्त अन्य गांव की भूमि के राजस्व अभिलेख को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 व 6 में वर्णित भूमि के राजस्व अभिलेख को त्रुटि पूर्ण इन्द्राज नही बताया जा सकता है, क्योंकि राजस्व अभिलेख के इन्द्राज सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व अनुमति के बिना परिवर्तित नही किये जा सकते है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 व 6 मे वर्णित भूमि वादी द्वारा प्रस्तुत खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2014 से 2033 के अनुसार रूपा वल्द दूधा व मुसम्मात बरजी बेवा मोती चमार के खाते दर्ज रही है, चूंकि मुसम्मात बरजी बेवा मोती लाऔलाद फौत होने से उक्त भूमि स्व० रूपा जी की मृत्यु के उपरान्त जये नामान्तरण विधिवत रूप से अप्रार्थी कम 1 व 2 के खाते दर्ज की गई है। प्रार्थी द्वारा मौजूदा प्रार्थना मे मुसम्मात बरजी बेवा मोती एवं स्व० दूधा पुत्र भवान जी के फौती नामान्तरण के राजस्व अभिलेख की कोई प्रमाणित प्रतिलिपी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की है। उक्त नामान्तरणकरण की प्रमाणित प्रतिलिपीयों के अभाव में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा चाहा गया खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का अनुतोष उपरोक्त नामान्तरणो का अवलोकन किये बिना प्रदान नही किया जा सकता है।

प्रार्थी द्वारा बहुत ही अस्पष्ट व गोल मोल वाद प्रस्तुत कर न्यायालय का समय बर्बाद किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 व 6 मे वर्णित भूमि मे वादी का किसी प्रकार का कोई हिस्सा निहित नही है और पूर्व मे भी वादी का विरासतन तौर पर कोई हिस्सा दर्ज नही रहा है इसीलिये अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा उपरोक्त भूमि पर विधिवत रूप से खनन कार्य की सहमति अप्रार्थी कम 9 व 10 के पक्ष मे दी गई है। जिसकी जानकारी पारिवारिक रिश्तेदारी होने के कारण प्रारम्भ से ही प्रार्थी वादी को रही है। अप्रार्थी कम 9 द्वारा विधिवत रूप से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, कोटा के निर्णय दिनांक 12.09.1989 के माध्यम से प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 व 6 मे वर्णित खसरा नं0 245 पुराना खसरा नम्बर 38 की भूमि का मुआवजा तय करवाकर उक्त भूमि की सम्पूर्ण मुआवजा राशि अप्रार्थी कम 1 व 2 को नियमानुसार अदा की जाकर दिनांक 12.09.1989 के बाद से ही उपरोक्त भूमि पर विधिवत रूप से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत खनन पट्टे के अनुसार निरन्तर खनन एवं खनन से संबंधित कार्य के लिए उपयोग में ली जा रही है। वर्तमान में उक्त खसरा नं. 245 की रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि मे से अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा 0.25 है० भूमि अप्रार्थी कम 7 को विकय कर देने से उसका नया बटा खसरा नम्बर 808/245 कायम किया गया है एवं अप्रार्थी कम 7 द्वारा उक्त भूमि पर खनन कार्य करने हेतु अप्रार्थी कम 10 को रजिस्टर्ड सहमति प्रदान की गई है जिसका नोट नम्बर 4 से राजस्व रेकार्ड में अंकन हैं। उक्त पंजीकृत सहमति के आधार पर अप्रार्थी कम 10 द्वारा उक्त भूमि का सरफेस पूर्ण रूप से समाप्त किया जाकर वर्तमान मे खनन कार्य किया जा रहा है तथा मौके पर किसी प्रकार का कोई सरफेस मोजूद नही है तथा खनिज निकालने हेतु बेचेंज बनी हुई है। इसके साथ ही अप्रार्थी कम 10 द्वारा अप्रार्थी कम 1 व 2 से इसी खसरा नं. 245 की रकबा 0.15 है० भूमि भी रजिस्टर्ड सहमति प्राप्त की हुई है जिसका नोट नम्बर 10 से राजस्व रेकार्ड में अंकन हैं। और उक्त पंजीकृत सहमति के आधार पर अप्रार्थी कम 10 द्वारा उक्त भू भाग पर सहायक खनन कार्य किया जा रहा है। एवं खसरा नं. 245 मे अप्रार्थी कम 9 के हिस्से की 0.30 है0 भूमि पर भी सहायक खनन कार्य किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 व 6 मे वर्णित भूमि पर कभी भी प्रार्थी वादी का कोई कब्जा नही रहा है और ना ही किसी प्रकार का शामलाती व संयुक्त कब्जा रहा है। वाद ग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नही रही है क्योकि राजस्व रिकॉर्ड में सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना किसी भी प्रकार का इन्द्राज नही किया जा सकता है और अस्तित्व में रहे इन्द्राज मे किसी प्रकार का रद्दोबदल नही किया जा सकता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे कौन से राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटि को दुरूस्त करवाया जा रहा है इसके सम्बन्ध मे कोई अभिवचन अंकित नही किये गये है इसीलिये जब वादी को किसी त्रुटि का ज्ञान ही नहीं है तो मात्र किसी अन्य गांव के वर्तमान राजस्व अभिलेख को आधार बनाकर पूर्व मे चले आ रहे राजस्व अभिलेख को विधिवत रूप से दुरुस्त नही किया जा सकता है इसीलिये प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टया केस है और नही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है साथ ही अपीलांट को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से न्यायिक दृष्टांत 1997 डी. एन.जे(एस.सी.) पेज 6 व पेज 7, आर.आर.टी. 2015(1) पेज 633, 1988(1) डब्ल्यु.एल.एन. (रेवेन्यु) पेज 138 तथा राजस्थान सरकार के कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक

विभाग, राजस्थान "कर भवन", अजमेर के कमांक एफ–7/1018/जून/18987–19392 दिनांक 24.10.1996 परिपत्र संख्या 37/96 प्रस्तुत किये। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.08.2013 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 9, 10 की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2020 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु तीन घटको–प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर विवेचन किये जाने के पश्चात ही अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा–

प्रथम दृष्ट्या प्रकरण–हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद ग्राम कुम्भकोट की विवादित भूमि खसरा नम्बर 373 ,245, 519, 229 को लेकर है। उभयपक्षकारान ने उक्त वर्णित विवादित भूमि के संबंध में उनके हक अधिकार होने के संबंध में अलग–अलग तर्क दिए है। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी की खसरा संख्या 245, 373, 519 किता 3 रकबा 1.19 हैक्टेयर भूमि अमरलाल पुत्र रूपलाल हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार तथा भेरूलाल पुत्र रूपलाल हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा नोट संख्या 10 से खसरा संख्या 245 पर खसरा नम्बर 245 रकबा 0. 45 में से 0.30 पर ए0एस0आई0 कम्पनी को खनन कार्य करने की व ख0न0 245 रकबा 0. 45 में से 0.15 पर स्टेटस इम्पेक्स प्रा0लि0 को खनन कार्य करने की स्वीकृति होने का नोट अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2009 से 2029 के अनुसार ग्राम कुम्भकोट की खसरा नम्बर 229, 245, 373, 519 किता 4 रकबा 1.88 हैक्टेयर भूमि खातेदार भैरूलाल अमरलाल पि. रूपलाल कोम मेघवाल सा.देह दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में नामा.स. 241 नि. दि. 20/10/2012–बेचान से ख.न. 245 की 0.70 में से 0.25 तरफ पश्चिम तथा ख.न. 229 की 0.44 पर देवीलाल पुत्र गंगाराम जाति मेहर सा. खेराबाद का नाम दर्ज होना अंकित है। फोटोप्रति न्यायालय श्री एम0एस0 खान अति0 जिला कलेक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 12.09.89 की है जिसमें ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 38 की रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी मैसर्स एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज(राज.) लि. रामगंजमण्डी को खनन कार्य की स्वीकृति का आदेश होना अंकित है। इस प्रकार विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटगण न तो विवादित भूमि के खातेदार है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिससे उनका विवादित भूमि पर कब्जा–काश्त होना प्रमाणित होता हो। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा विवादित भूमि को खनन कार्य हेतु पंजीबद्ध सहमति पत्र द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 10 को दिया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होता है। साथ ही

रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा भी जरिये पंजीबद्ध सहमति पत्र विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 को खनन कार्य हेतु दिया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होता है। इस प्रकार विवादित भूमि पर अपीलांट का प्रथम दृष्ट्या काबिज होना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी अपीलांट न तो प्रश्नगत भूमि के वर्तमान में अभिलिखित खातेदार है तथा न ही मौके पर उनका कब्जा काश्त प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलांटगण के पक्ष में नहीं है। हालांकि सभी बिन्दुओं का अंतिम निर्णय मूलवाद के निर्णय में होगा।

सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति– चूंकि अपीलांटगण न तो विवादित भूमि के खातेदार है और न ही उनका विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होना प्रतीत होता है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 द्वारा विवादित भूमि को विधिवत् स्वीकृति से खनन कार्य किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 को खनन कार्य से रोका गया तो अपूरणीय क्षति भी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 को होने की प्रबल संभावना है। इसके विपरीत चूंकि अपीलांटगण वर्तमान में विवादित भूमि के न तो अभिलिखित खातेदार है और न ही उनका विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है अतः अपीलांटगण को कोई असुविधा होने की संभावना नहीं है तथा अपीलांटगण को किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांटगण के पक्ष में नहीं है। हमारे मत मे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 02/2019 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2020 यथावत रखा जाता है।

12. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

13. निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा